नगर विकास योजना का मूल्यांकन
मैसूर

सितम्बर, 2006

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान

कोर 4 बी, भारत पर्यावास केन्द्र
लोधी रोड, नई दिल्ली 110003

किसी प्रकार की शंका होने पर कृपया सुश्री उषा रघुपति से ई मेल से सम्पर्क करें (**email: uraghupathi@niua.org**)

नगर विकास योजना, मैसूर का मूल्यांकन

मैसूर की नगर विकास योजना (सीडीपी) का मूल्यांकन टूल-किट-2 के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

मैसूर की सीडीपी के प्रथम भाग में क्षेत्रों की पृष्ठभूमि, वर्तमान स्थिति विश्लेषण, संकल्पना, संकल्पना कार्यान्वयन तथा वित्तीय स्थायित्व विश्लेषण शामिल है। सीडीपी में टूलकिट 2 का पूर्ण अनुपालन नहीं है तथा उसमें वर्त्तमान स्थिति विश्लेषण को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। वह संकल्पना, परियोजनाओं और वित्तीय योजना पर अधिक ध्यान देती है, जो वर्त्तमान स्थिति पर आधारित होने चाहिए। सीडीपी का विन्यास भी ठीक नहीं और वह सिलसिलेवार नहीं है।

सीडीपी का अध्याय-1, जो मैसूर शहरी क्षेत्र की पृष्ठ भूमि बाबत है, शहर के मुख्य आकर्षणों के महत्व की उचित झलक दर्शाता है। उसमें शहर की अर्थव्यवस्था, परिवहन, शैक्षिक व शोध संस्थाओं के साथ-साथ आध्यात्मिक पर्यटन का भी संक्षिप्त वर्णन है।

मैसूर एक शैक्षिक, वाणिज्यिक व प्रशासनिक केन्द्र है तथा एक पर्यटन और विरासत केन्द्र भी है। शहर की अर्थव्यवस्था व्यापक रूप से पर्यटन, उद्योग और वाणिज्य पर आधारित है।

इस अध्याय में शहरी शासन खंड (पृष्ठ 15.21) में प्रत्येक एजेंसी के संस्थायी दायित्व का उल्लेख है, जो शहरी शासन में भूमिका निभाते हैं। इसमें मैसूर नगर निगम (एमसीसी), मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए), कर्नाटक अर्बन वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड (के.यू.डब्लू.एस.डी.बी), कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (के.एस.आर.टी.सी), लोकनिर्माण विभाग, चिड़ियाघर प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग तथा झील विकास प्राधिकरण की भूमिका भी दी गई है। एम.सी.सी के कार्यों पर चर्चा में यह साफ नहीं किया गया है कि संविधान के 74वें संशोधन की 12वीं अनुसूची के कौन से कार्य नगर निगम के सुपुर्द हैं।

वर्तमान स्थिति का विश्लेषण

यह विश्लेषण अध्याय 2 में है, जिसमें संक्षेप में और सरसरी तौर पर वर्त्तमान स्थिति का निष्पादन सारांश दिया गया है। वर्तमान स्थिति का कोई विश्लेषण नहीं किया गया है। इस खंड से पता नहीं चलता कि " शहर में इस समय क्या है, क्या नहीं हैं, घाटा कहाँ हैं तथा उसके क्या कारण हैं।"

जनांकिकी

पृष्ठ 23 पर "जनांकिकी" के अन्तर्गत वर्ष 1901 से 2011 के दौरान वृद्धि दरों के साथ जनसंख्या दर्शायी गई है। लेकिन जनसंख्या प्रायोजन में अपनायी गई पद्धति का सीडीपी में खुलासा नहीं किया गया है। प्राकृतिक कारणों, आवासन एवं अधिकार क्षेत्र परिवर्त्तनों के फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े नहीं दिए गए हैं। शहरवर्ती क्षेत्रों तथा सीमांत क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण नहीं दिया गया है। यह दिया जाए। जनसंख्या पूर्वानुमान का रेखाचित्र (ग्राफ) पुनःतैयार किया जाए क्योंकि " एक्स" और "वाई" अक्ष काले रंग में अर्थात् संख्या शून्य हैं।

भू-उपयोग

सीडीपी में मैसूर व उसके सीमांत क्षेत्रों का भू-उपयोग पैटर्न नहीं दिया गया है। इस बारे में 3 नक्शे पृष्ठ 23 व 24 पर क्रमशः वर्ष 1972, 2001 और 2011 के लिए हैं। किंतु वे पठनीय नहीं हैं अतः उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। वस्तुतः ये नक्शे मूलतः बड़े रंगीन नक्शों को छोटा करके लघुकृत किए गए हैं, अतः पठनीय नहीं रहे। भू-उपयोग नक्शे जहाँ पृष्ठ 23 व 24 पर हैं, वहीं भू-उपयोग तालिका पृष्ठ 38 पर है। जबकि ये दोनो साथ-साथ होने चाहिए। नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में भू-उपयोग पर पूरी चर्चा विश्लेषण के साथ होनी चाहिए।

शहरी गरीब

शहरी गरीब पर अध्याय 2 में पृष्ठ 24 पर केवल एक पैरा है जो इस शहर में शहरी गरीब की सही स्थिति नहीं दिखलाता। शहरी गरीबों के बारे में कुछ उल्लेख अध्याय चार "शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएँ " (पृष्ठ 54 से 60) में हैं लेकिन इस अध्याय में भी शहरी गरीबों के रहन-सहन की पूरी तस्वीर नहीं दी गई है।

राज्य में और इस नगर में स्लमों की संख्या के बारे में विरोधाभास है। पृष्ठ 54 के कॉलम 2 में दिखाया है कि "राज्य में घोषित 1957 स्लमों में से 219 स्लम बंगलोर शहर में हैं ...."! इस पैरा के नीचे कहा गया है कि "राज्य में 4000 से अधिक स्लम हैं। इनमें से 1000 से अधिक स्लम बंगलोर और 82 स्लम मैसूर में हैं। इनमें से 49 स्लम नगर निगम की सीमाओं में हैं।" पृष्ठ 62 पर अनुलग्नक 7 में दी गई तालिका में मैसूर शहर में घोषित स्लम 20 और अघोषित स्लम 17 बताए गए हैं। यह स्पष्ट किया जाए कि कर्नाटक राज्य, बंगलोर और मैसूर शहरों में कितने घोषित और अघोषित स्लम हैं।

पृष्ठ 57 पर यह कहा गया है कि शहर में गरीबों के लिए छत्तीस हजार एक सौ (36,100) घरों की जरूरत है। यह संख्या गरीबी रेखा के नीचे की आबादी को कुल आबादी के 19 प्रतिशत मानकर निकाली गई है। लेकिन यहाँ गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के प्रतिशत का आधार नहीं बताया गया है। इस खंड में शहर में शहरी गरीबों की आबादी, रूझान और प्रायोजन दिए जाने चाहिए।

नगर विकास योजना में शहरी गरीबो का वर्णन अधिक सैद्धान्तिक है, जो यह दर्शाता है कि क्या किया जाना चाहिए, लेकिन इस बारे में कोई तथ्य और आंकड़े नहीं दिए गए हैं। इस खंड में शहर की वर्तमान स्थिति के बारे में संख्यात्मक और गुणात्मक सूचना दी जानी चाहिए।

सेवाओं का स्तर

इस बारे में सूचना बिखरी हुई है। पृष्ठ 25 पर "सेवा प्रतिमानों" के खंड में सेवा प्रदायगी स्तरों का उल्लेख नहीं है, केवल भारित स्तर व स्कोर दिया गया है। सेवा स्तरों के बारे में कुछ उल्लेख पृष्ठ 48 पर "संकल्पना" नामक अध्याय 3 में है। शहरी आधार तंत्र में लागत वसूली की जानकारी पृष्ठ 37 पर है। सीडीपी सेवा स्तरों और उनके लिए वित्त व्यवस्था के बारे में एक ही जगह समेकित सूचना नहीं देती है और इसलिए इन सेवाओं की वर्त्तमान स्थिति को समझना मुश्किल है।

जल आपूर्ति, अपजल निकासी (सीवरेज) और बरसाती पानी की निकासी पर पृष्ठ 26 और 27 पर जो सूचना दी गई है वह शहर में इन सेवाओं के बारे में अधिक खुलासा नहीं करती। योजना के पृष्ठ 67 और 68 पर " संकल्पना कार्यान्वयन" बाबत अध्याय 5 में जल आपूर्ति और सीवरेज सेवाओं में सुधार की गतिविधियां बताई गई हैं। यहाँ वस्तुतः वर्तमान स्थिति पहले बताई जानी चाहिए थी और सुधार की बात बाद में कही जानी चाहिए थी।

पृष्ठ 28, से यह जाहिर नहीं होता कि फालतू हुए पानी (अपजल) का निपटान केवल 15.25 मिलियन लीटर दैनिक क्यों है जबकि रोज़ाना 128 मि.लीटर गंदा पानी पैदा होता है तथा सीवरेज़ प्रणाली से 57 प्रतिशत परिवार जुड़े हैं। यदि सीवरेज़ शोधन संयत्रों की क्षमता 157.65 मि.ली. दैनिक बढ़ा दी जाए, तो उसकी प्रचालन क्षमता का 15.8 मि.ली. दैनिक उपयोग क्योंकर रहेगा। पृष्ठ 28 की तालिका में सीवरेज़ से जुड़े परिवार 57 प्रतिशत हैं जबकि उस के नीचे जो इबारत में वह 70 प्रतिशत का कवरेज़ दिखाती है। जाहिर है कि सीवरेज़ से जुड़े परिवारों का कवरेज़ तथा पैदा हुए गंदे पानी की मात्रा में कोई तालमेल नहीं है, इसे स्पष्ट किया जाए।

पृष्ठ 27 पर कचरा निपटान प्रबंधन का जो उल्लेख है, उसमें यह नहीं बताया गया है कि इस समय इस सेवा की व्यवस्था कैसे की जा रही है। इस पर पृष्ठ 70 की मदों में खुलासा किया जाए जिसमें गंदे पानी के संग्रह, ढुलाई, शोधन और निपटान का उल्लेख हो।

सड़कों और पुलों का संक्षिप्त उल्लेख पृष्ठ 28 व 29 पर है। लेकिन परिवहन का कोई जिक्र नहीं है। पृष्ठ 64,65 और 66 पर परिवहन के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं में वर्तमान स्थिति नहीं दिखाई गई है।

संस्थाई जिम्मेदारी

पृष्ठ 26 पर संस्थाई जिम्मेदारी मैट्रिक्स (गणना) में विभिन्न सेवाओं व कार्यों के लिए जिम्मेदार संस्थाएँ बताई गई हैं। लेकिन उन संस्थाओं के कार्यों के अधिव्यापन (ओवरलैपिंग) का तथा उसके कारण व्यवस्थागत समस्याओं का कोई उल्लेख नहीं है। पृष्ठ 15-21 पर " शासन" के वर्णन को इस खंड में लाया जा सकता था।

मैसूर नगर निगम की वित्तीय स्थिति

मैसूर नगर निगम (एम.सी.सी) का वित्तीय विश्लेषण पृष्ठ 36 व 37 की तालिकाओं है, किन्तु बिना परीक्षण के है। नगर निगम के वित्त पर टिप्पणी पृष्ठ 38 से 84 पर अध्याय 6 में है :

मैसूर नगर निगम का आय-व्यय

(लाख रू.)

वर्ष	आय	व्यय	मुनाफा/घाटा
2001-02	7748.95	7845.06	-96.11
2002-03	7132.96	7355.97	-223.01
2003-04	6984.25	7048.17	-63.92
2004-05	7537.30	8110.26	-572.96
2005-06	9036.00	9076.66	-40.66

सीडीपी में बताया गया है कि मैसूर नगर निगम की माली हालत अतीत में बहुत अच्छी नहीं थी तथा निगम का बजट घाटे का होता था।

मैसूर महानगर पालिका के बजट अनुमानों से प्राप्त आंकड़ों से जाहिर होता है कि सीडीपी में आय-व्यय के सभी आंकड़े वास्तविक न होकर अनुमानित हैं। वास्तविक आंकड़े 2004-05 तक के हैं, इन आंकड़ों का इस्तेमाल करके मैसूर नगर निगम वित्त की तालिकाएँ पुनः तैयार की जाएं तथा उनकी व्याख्या तदनुसार दी जाए।

सीडीपी में वर्ष 2003-06 के लिए सम्पत्ति कर के जो आंकड़े हैं वे नगर निगम की कुल आय का करीब 17-19% हैं, उसके बाद सम्पत्ति आधारित अन्य आय (18-20%) तथा पानी प्रभार(15-16%) है। राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि कुल आय के 21-24% है, जबकि अनुदान व अंशदान राशियां 18-22% हैं। सभी स्रोतों से राजस्व आय विगत पांच वर्षों में घटती-बढ़ती रही है, किंतु इसका कारण नहीं बताया है। सीडीपी के अनुसार कुल आय प्राप्ति में अनुदान राशि की हिस्सेदारी वर्ष-दर-वर्ष घटती रही है, जबकि सम्पत्ति कर से उगाही बढ़ती रही है।

"मरम्मत और अनुरक्षण" का कुल व्यय में हिस्सा 16-17% है। लेकिन इस शीर्ष में 70-80% का खर्च बिजली पर तथा नगर की सफाई पर है। इस शीर्ष के खर्च में बढ़ोतरी बिजली दरों में वृद्धि के कारण हुई है।

हितबद्ध पक्षों के साथ विचार विनिमय

सीडीपी के अध्याय 3 में लिखा है कि हितबद्ध पक्षों के साथ विचार विनिमय दिसम्बर 2005 से अप्रैल 2006 के बीच हुआ। हितबद्ध पक्षों की सूची अनुलग्नक 2 में, पृष्ठ-4 पर है। लेकिन इस सूची में संशोधन की जरूरत है, क्योंकि उसमें कुछ कार्य योजना क्षेत्र में भी दिखाए गए हैं। अनुलग्नक 3 (पृष्ठ 6-13) में हितबद्ध पक्षों के जवाब हैं, लेकिन वह आसानी से समझने में नहीं आते। इन जवाबों की एक समेकित सूची सीडीपी में दी जाए। हितबद्ध पक्षों के साथ हुई बैठकों की संख्या, उनमें भाग लेने वालों की संख्या तथा प्राप्त जवाबों की संख्या लिखी जाए। यह भी बताया जाए कि क्या समाज के सभी लोगों से बातचीत की गई तथा विभिन्न सेवाओं और संरचनाओं के बारे में लोगों की प्राथमिकताएं क्या थीं।

नगर के लिए संकल्पना

मैसूर शहर को सांस्कृतिक, पर्यटन, शिक्षा तथा समृद्धि का केन्द्र बनाने हेतु उसके गौरव में वृद्धि करना मैसूर की भावी संकल्पना है। इस संकल्पना के मुख्य तत्व : शहरी परिवेश, अर्थव्यवस्था, विरासत और शासन (पृष्ठ 41) बताए गए हैं।

सीडीपी में संकेत है कि शहर का मुख्य ध्यान पर्यटन विकास पर होगा, जिसमें विरासत और स्मारकों तथा मैसूर में अन्य दर्शनीय स्थलों, हस्तशिल्प/रेशम उद्योग तथा सूचना प्रौद्योगिकी/जैव प्रौद्योगिकी पर ध्यान शामिल है। अल्पावधि, मध्यावधि तथा दीर्घावधि में प्राप्त किए जाने वाले सेवा और संरचना लक्ष्य पृष्ठ 48-49 पर हैं। इनमें जल आपूर्ति और सफाई, शहरी सड़कों, कचरा

निपटान तथा शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं के लक्ष्य शामिल हैं। पृष्ठ 48-49 पर जो अवधियाँ लिखी हैं वे तालिकाओं में नहीं हैं। इन्हें दर्शाया जाए।

प्राथमिकताएँ

आधार-संरचना प्राथमिकताएँ पृष्ठ 53 की तालिका में हैं। चूंकि किसी प्राथमिकता को विशेष खासियत नहीं दी गई है इसलिए यह माना जाता है कि सड़कें, सड़कों संबंधी संरचना, जल आपूर्ति और सीवरेज़, कचरा निपटान, शहरी गरीब तथा पर्यटन क्रमशः प्राथमिकता क्षेत्र हैं। इस तालिका के कॉलमों को और स्पष्ट किया जाए, ताकि यह पता चल सके कि निगम क्या कहना चाहता है।

कार्यनीतियाँ

संकल्पना प्राप्ति हेतु कार्यनीतियाँ "संकल्पना कार्यान्वयन" नामक अध्याय 5 में हैं। इस अध्याय में प्रस्तावित निवेश राशियों में पूंजी खर्च, परिचालन व अनुरक्षण, भू-अधिग्रहण लागत, जहाँ लागू हो, दी गई है। परियोजना बनाते समय परिचालन व अनुरक्षण पर अपेक्षित बल दिया गया है। लेकिन उसकी लागत खर्च को कैसे पूरा किया जाएगा, यह नहीं बताया गया। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी कायाकल्प अभियान (JNNURM) के तहत धन के लिए उल्लिखित परियोजना लागत में परिचालन व अनुरक्षण और भू-अधिग्रहण की लागत नहीं दिखाई गई है। प्रस्तावित परियोजना वर्ष 2007-12, 2013-17, 2018-22, 2023-27 तथा 2028-31 की अवधियों के लिए हैं, लेकिन शहरी कायाकल्प अभियान से राशि वर्ष 2007-12 की अवधि के लिए ही मांगी गई है।

परियोजना लागत में यों परिचालन व अनुरक्षण/भू-अधिग्रहण लागत शामिल नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में यह लागत शामिल है। अतः परियोजना लागत में पूंजी खर्च शामिल करने के लिए उसकी पुनर्गणना की गई है और इसमें 409 करोड़ रूपये का अंतर आया है। परियोजना की मद-वार लागत नीचे दी गई हैः

(निवेश करोड़ रूपये में)

2007-12		
परियोजना मदें	**सीडीपी के अनुसार**	**मूल्यांकन पर पुनः परिकलित**
सड़कें	311	311
परिवहन सम्बद्ध सरंचना	428	378.5*
जल व सीवरेज़	529	418
कचरा निपटान	34	10
शहरी गरीब	194	169
पर्यटन	307	113**
शहरी परिसर	31	25.5
कुल जोड़	**1834**	**1425**

टिप्पणीः कुल जोड़ में से निम्नलिखित अपात्र घटक हटा दिए गए हैं :

*हवाई अड्डा उन्नयन प्रोजेक्ट, लागत 90 करोड़ रूपये

**कन्वेन्शन सेंटर व गोल्फकोर्स की लागत 150 करोड़ रू. तथा होटल बजट की 20 करोड़ रू. की राशि

सड़क व परिवहन परियोजनाएँ

मैसूर शहर बड़े पैमाने पर परिवहन प्रणालियों जैसे, त्वरित बस सेवा प्रणाली, बिजली चालित ट्राली बसें या हल्की रेल प्रणाली (पृष्ठ 65) की साध्यता का अध्ययन कर रहा है। शहर में परिवहन सुधार की प्राथमिकतापूर्ण पहल है। मैसूर का नगर निगम (एमसीसी) और शहरी विकास प्राधिकरण (मूडा) ने संगत आधार-ढांचे के साथ सड़कों के सुधार हेतु कारीडोर निर्धारित किए हैं, जिसमें पैदल-आवागमन पहलू को भी ध्यान में रखा गया है। पैदल पथ व साइकिल पथ हेतु 2 करोड़ रूपये की परियोजना का प्रस्ताव है।

सड़कों की व्यवस्था में पथिकों व साइकिल सवारों की सुरक्षा पर ध्यान देना नितांत आवश्यक है, और इसलिए परियोजना बनाते समय हितबद्ध पक्षों के साथ व्यापक विचार विनिमय आवश्यक होता है। सीडीपी में ऐसे विचार-विनिमय के बारे में स्पष्ट प्रमाण होने चाहिए।

मैसूर में मंडकल्ली नामक छोटा एयरपोर्ट है, जो शहर से 4 मील पर है। यह एयरपोर्ट अभी चालू नहीं है। इसे छोटे विमानों के लिए पुनः डिज़ाइन करके विस्तृत किया जाएगा। अतः 90 करोड़ रू0 की एयरपोर्ट उन्नयन की एक परियोजना का प्रस्ताव किया गया है। किन्तु यह शहरी कायाकल्प अभियान के अन्तर्गत धन पाने के लिए पात्र घटक नहीं है।

पर्यटन योजनाएँ

इस शीर्ष के अन्तर्गत, वर्तमान आकर्षक स्थलों के चारों ओर आधार सुविधाओं के तंत्र का विस्तार किया जाएगा। शहर में विरासत भवनों/स्मारकों/आकर्षक स्थलों की सूची पहले ही तैयार कर ली गई हैं तथा संबंधित एजेन्सियों से उनके संरक्षण/पुनर्वास की योजनाएँ तैयार करने की आशा की जाती है। विरासत भवनों के उद्धार के लिए 50 करोड़ रूपये की एक परियोजना का प्रस्ताव है। सीडीपी के अनुलग्नक 2 (पृष्ठ 106) में मैसूर शहर की 32 विरासती इमारतों की सूची दी गई है, किन्तु पृष्ठ 107 से 112 पर 138 विरासती इमारतों की सूची है। इन दोनों में सही सूची की स्थिति बताई जाए।

पर्यटन से संबंधित दो परियोजनाएँ शहरी कायाकल्प अभियान के अन्तर्गत धन पाने की पात्र नहीं हैं। ये हैं : 150 करोड़ रू. लागत का" कन्वेंशन सेंटर और गोल्फ कोर्स", तथा 20 करोड़ रूपये लागत का एक "बजट होटल "।

वित्तीय स्थायित्व

मैसूर नगर निगम विगत पांच वर्षो अर्थात् 2001-02 से 2005-06 (पृष्ठ 80) से राजस्व घाटा दिखा रहा है। किन्तु वर्ष 2006-07 की वित्तीय परिचालन योजना में 317 करोड़ रूपये का मुनाफा (सरप्लस) और वर्ष 2007-08 के लिए 2226 करोड़ रूपये का मुनाफा (सरप्लस) दर्शाया गया है। इन प्रायोजनों की एक मान्यता यह बताई गई है कि प्रत्येक 5 वर्ष में सम्पत्ति कर दरों में 20% की बढ़ोत्तरी होगी तथा पहले वर्ष में 60% तक की उगाही और दूसरे वर्ष में 70% तक की उगाही होगी। लेकिन सीडीपी में यह नहीं बताया गया है कि वर्त्तमान उगाही क्षमता क्या है तथा सम्पत्ति कर की दरें पहले कब बढ़ाई गई थीं? इसी प्रकार पृष्ठ 81 पर जो अन्य मान्यताएँ

हैं, उनमें वर्त्तमान स्थिति का विश्लेषण नहीं दिया गया है, जिससे उन मान्यताओं की यथार्थता का पता चलता। अतः पृष्ठ 84 का यह कथन कि " मैसूर नगर निगम बजटीय सहायता से 106 करोड़ रूपये तक की भरपाई कर लेगा" सही प्रतीत नहीं होता। उक्त बातों का स्पष्टीकरण किया जाए।

कुल मिलाकर, सीडीपी टूलकिट 2 की सभी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता। उपर्युक्त टिप्पणीं के आलोक में सीडीपी पुनः तैयार की जाए। मैसूर शहर को चाहिए कि वह मदद हेतु इन्टरनेट पर उपलब्ध गुजरात (अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा व राजकोट) की नगर विकास परियोजनाओं तथा आंघ्र प्रदेश (हैदराबाद, विशाखापत्तनम व विजयवाड़ा) की नगर विकास योजनाओं के विन्यास पर नज़र डाल ले।

मैसूर एक विरासत नगर है तथा ऐसे शहरों की नगर विकास योजनाओं के निर्माण हेतु शहरी विकास मंत्रालय ने अलग दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। ये दिशा निर्देश संदर्भ हेतु संलग्न हैं (अनुलग्नक-1)। वर्त्तमान सीडीपी में विरासत शहर के लिए अपेक्षित कुछ ही सूचनाओं को समाहित किया गया है, काफी कुछ सूचनाएं समाहित की जानी बाकी हैं। विरासत शहरों हेतु सीडीपी दिशा निर्देशों के अनुपालन में इन सभी सूचनाओं को समाहित करना आवश्यक है।

मैसूर की नगर विकास योजना पर उठाए गए अन्य मुद्दे

1. चूंकि अधिकतर खंडों में शहरी कायाकल्प अभियान अवधि और बाद की अवधि के लक्ष्य और संकल्पनाओं का उल्लेख है तो वही उल्लेख जल आपूर्ति खंड के बारे में भी होना चाहिये, जो नहीं दिया गया है।

2. पृष्ठ 2 व 3 के अनुलग्नकों में, परामर्श में शामिल 22 हितबद्धपक्षों के नाम हैं तथा पृष्ठ 6 व 7 पर 25 अन्य हितबद्ध पक्षों के नाम हैं, इन दोनों का जोड़ 47 बनता है। क्या यह काफी है ? यदि कुछ अन्य हितबद्ध पक्षों से परामर्श किया गया है तो प्रत्येक सलाहकार बैठक में शामिल प्रतिभागियों की कुल संख्या दी जाए। साथ ही दो पृष्ठों में फोटो लगाना बहुत अधिक है। वस्तुतः फोटो से अधिक महत्व हितबद्ध पक्षों के ब्यौरों और उनसे चर्चा के सारांश का होता है।

3. क्या पृष्ठ 81 पर अंतः सेक्टरीय प्राथमिकताकरण अधिक स्पष्टता से दिया जा सकता है?

4. किसी भी तालिका की संख्या या शीर्षक नहीं दिया गया है। इससे तालिका को उद्धृत करने में कठिनाई आती है। इसी प्रकार उनकी अनुवर्ती टिप्पणी भी विचित्र ढंग से लिखी गई है। तालिकाओं की संख्या और शीर्षक दिये जाएं।

5. पृष्ठ 48 पर, तालिका की तीसरी पंक्ति में 'मीटरिंग' मद के सामने 'पूर्णतः समाहित नहीं' लिखा है - इसका क्या मतलब है? मीटरिंग में शामिल परिवारों का क्या प्रतिशत है? पृष्ठ 53 पर सीवरेज तालिका में लिखा है कि 57 % परिवार सीवरेज प्रणाली से जुड़े हैं। इस प्रकार की जानकारी जल आपूर्ति के बारे में भी दी जाए।

6. पृष्ठ 49 पर जल आपूर्ति खंड में दूसरी तालिका के तीसरे कालम में एक संख्या 4 लिखी - इस संख्या की यूनिट क्या है ?

7. पृष्ठ 77 पर लिखा है कि वित्त वर्ष 2002 व 2005 के दौरान जल आपूर्ति और सीवरेज सेवाओं से प्राप्त आय में 105 % की वृद्धि हुई, किंतु इस वृद्धि की व्याख्या नहीं की गई है। इस तालिका में यह भी बताया गया है कि वित्त वर्ष 2002 से खर्च में कमी आई है - इसे स्पष्ट किया जाए। इसी तालिका में लिखा है जल आपूर्ति से प्राप्त आय वित्त वर्ष 2002 में व्यय से तीन गुनी थी, जो 2005 में बढ़ कर सात गुनी हो गई। इसे स्पष्ट किया जाए। समझ में नहीं आता कि मैसूर को जल आपूर्ति और अपजल निकासी शीर्ष के अन्तर्गत इतना अधिक सरप्लस (अधिशेष) कैसे प्राप्त हो रहा है, इन आंकडों का शीर्ष-वार ब्यौरा दिया जाए तथा इन सेवाओं के लिये टैरिफ दरें बतायी जाएं।

8. चूंकि सी डी पी में म्यूनिसिपल पूंजी आमद बाबत एक तालिका है अतः म्यूनिसपल पूंजी खर्च की तालिका भी दी जाए।

9. पृष्ठ 78 पर दूसरी तालिका में संख्याओं का वर्ष नहीं बताया गया है। वर्ष 2001 से 2005 की अवधि हेतु यह तालिका पूरी दी जाए।

10. चूंकि अधिकतर खंडों में अभियान (मिशन) अवधि और बाद भी अवधि के लिये लक्ष्य और संकल्पनाओं का उल्लेख है अतः जल आपूर्ति बावत भी ये दिये जाएं।

11. पृष्ठ 2 व 3 के अनुलग्नकों में, परामर्श में शामिल 22 हितबद्धपक्षों के नाम हैं तथा पृष्ठ 6 व 7 पर 25 अन्य हितबद्ध पक्षों के नाम हैं, इन दोनों का जोड़ 47 बनता है। क्या यह काफी है ? यदि कुछ अन्य हितबद्ध पक्षों से परामर्श किया गया है तो प्रत्येक सलाहकार बैठक में शामिल प्रतिभागियों की कुल संख्या दी जाए। साथ ही दो पृष्ठों में फोटो लगाना बहुत अधिक है। वस्तुतः फोटो से अधिक महत्व हितबद्ध पक्षों के ब्यौरों और उनसे चर्चा के सारांश का होता है।

12. क्या पृष्ठ 81 पर अंतः सेक्टरीय प्राथमिकताकरण अधिक स्पष्टता से दिया जा सकता है?

ये सरोकार हमारी पूर्व टिप्पणियों पर आधारित हैं। अतः कृपया संशोधित सी डी पी में इनके समाधान दिये जाएं।